तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9/2/21

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित बहस विद्वान अधिवक्ता पक्षकार सुनी। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष आदि, एवं पक्षकार अर्थात वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया।

वादी का कथन है, कि उसके द्वारा ग्राम पंचपर की कृषि खसरा नम्बर 1238 (रकबा 3।11)2 की खरीद रखा थी सरकार में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सका। बाद में कृषि की विक्रेता के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दी गई।

वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि का हिस्सा 1/2 तथा बकाया हिस्सा 1/2 वादी की माँ द्वारा क्रय किया गया था। वादी की माता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वा० मृ० वादी व प्रति० नं. 5 व 6 हैं। अतः वादग्रस्त कृषि में वादी का हि० 1/2 + 1/6 का, प्रति० 5 का हि० 1/6 का तथा प्रति० 6 का हिस्सा 1/6 का वारिसान दर्ज किया जावे।

बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति० नम्बर 1 से 4 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह श्री भूपेन्द्र सिंह एड. तथा प्रति० 5 व 6 की ओर से श्री परमानन्द अहीर

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एड० द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया बावजूद समुचित समय व अवसर प्रति० द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिसका जवाब प्रतिवादी बन्द किया। साक्ष्यवादी ली गयी। दौराने साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथपत्र, नकल जमाबंदी ग्राम चेचट 2070-73 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम चेचट 2057-60 खाता नं. 139 प्रदर्श-2, नक्शा फर्द मिलान ग्राम चेचट 2004-24 प्रदर्श-3, रजि० रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा चन्दालाल पुत्र शंकरलाल बाबत बहक वादी व उसकी माँ रामनाथीबाई पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 7 क्रम सं. 606, पृष्ठ 157 व 158 दि. 11.9.74 प्रदर्श-4, नोटिस 80 C.P.C प्रदर्श-5, रसीद नोटिस 80CPC दि. 15/6/17 प्रदर्श-6 प्रस्तुत किये। पत्रावली के अवलोकन पर पाया जाता है कि वादी एवं उसकी माता रामनाथी बाई द्वारा ग्राम चेचट की भूमि खसरा नम्बर 9238 रकबा 3.11 है. को दि. 11.9.74 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा चन्दालाल पुत्र शंकरलाल से क्रय की थी बरोबक्त के उपरान्त उक्त भूमि के राजस्व खसरा नम्बर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1678 रकबा 0.63 हैक्टेयर पैरा किये गये थे नामान्तकरण नम्बर 2328 दि. 2.2.08 से उक्त भूमि चन्द्रप्रकाश के वारिसान के नाम पर जरिये विरासत दर्ज की जा चुकी थी। प्रतिवादीगण द्वारा न तो वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत किया और न ही किसी प्रकार के तथ्य ही प्रस्तुत किये जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वादी द्वारा वांछित अनुतोष नहीं दिया जा सकता। प्रतिवादीगण को on. cost अवसर देने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। न ही cost अदा की। चूंकि प्रति० नम्बर 1 से 4 के पिता/पति द्वारा सन् 1974 में ही बारानी भूमि का बेचान किया जाकर बारानी भूमि पर वादी कोहर केला को कब्जा सौंप कर रजिस्टर्ड बयनामा आलेखित करवा दिया था। इस प्रकार धारा 63 के प्रावधानों अनुसार बारानी भूमि पर से चन्द्रप्रकाश के खातेदारी स्वत्व समाप्त हो गये थे। R.T. Act के प्रावधानों अनुसार स्वत्व ही अन्तरणीय होते हैं, बिना स्वत्व के कोई अन्तरण नहीं किया जा सकता। 11.5.74 के बाद बारानी भूमि पर विक्रेता चंदालाल के खातेदारी अधिकार समाप्त उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि के हाल नम्बर पर विक्रेता के वारिसान का नाम किया जाना या होना मात्र रिकार्डी रह जाने भी नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादी 1 से 4 का कोई स्वत्व उक्त भूमि पर नहीं है। वादग्रस्त भूमि का विक्रयपत्र कब शून्यकरणीय हो या पंजीयन या स्वत्वादि का अन्य अन्तरणादि के बारे में प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः गुणावगुण के आधार पर यह पाया जाता है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के $1/2 + 1/6$, प्रतिवादी नम्बर 5 के $1/6$ तथा प्रतिवादी नम्बर 6 के $1/6$ स्वत्व थे। अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम चेचट की भूमि ख० नं० 1678 रकबा 0.63 हे० का हाल खातेदार के नाम से हटाया जाकर वादी हि० $2/3$, प्रतिवादी नं० 5 हिस्सा $1/6$ व प्रतिवादी नं० 6 हि० $1/6$ के अनुसार दर्ज किया जावे तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दि० 9.2.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Judl Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

व इजलास— देशल दान (I.A.S.)

मेराचन्द —बनाम— गोपाल

2017 / 00310

दावा बाबत— 88-89-188 R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं.— 182 —सन्— 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी— श्री एस. आर. अली एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री नरेन्द्र सिंह, ~~अवधेश~~ सिंह एड. / श्री प्रमानन्द कलीर

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम चेचट की भूमि ख.नं. 1678 रकबा 0.63 हे. को दान खातेदार के नाम से हटाया जाकर वादी हि० 1/3, प्रतिo नं. 5 हि. 1/6 व प्रतिo नं० 6 हि० 1/6 के नाम दर्ज की जावे रिकार्ड में अमल दरामद हो।

मीज— ✗ —मुबालिग— ✗ —बाबत— ✗

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— ✗ —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— ✗ —को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 09 —माह— 02 —2021

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी
ओहदा— रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....						
मीजान....		–	–	मीजान ...		–	–

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. नी. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी